



भारत सरकार / Government of India  
परमाणु उर्जा विभाग / Department of Atomic Energy  
निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय /  
Directorate of Construction, Services & Estate Management  
सामान्य अनुभाग / General Section

विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,  
दूसरा तल, उत्तर स्कंध /2nd floor, North Wing,  
अणुशक्तिनगर/ Anushaktinagar,  
मुंबई / Mumbai 400 094

No.DCSEM/COVID-19/2020/342

अप्रैल April 22, 2021

**परिपत्र CIRCULAR**

विषय : कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय

**Sub: Preventive measures to contain the spread of COVID-19**

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के दिनांक 06.04.2021 के परिपत्र संख्या.319 के क्रम में तथा राजस्व एवं वन, आपदा प्रबंधन राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय मुंबई द्वारा जारी आदेश संदर्भ सं. DMU/2020/CR.92/DisM-1 दिनांक 21 अप्रैल, 2021(प्रति संलग्न) के अनुसरण में निसेसंप्रनि के कार्यकलाप निम्नवत संचालित होंगे:

In continuation with this Office Circular of even No. 319 dtd. 06.04.2021 and in consonance with Government of Maharashtra, Department of Revenue and Forest, Disaster Management, Relief and Rehabilitation, Order No. DMU/2020/CR.92/DisM-1 dated 21.04.2021 (copy enclosed) DCSEM now shall function as follows:

1. सभी अनुभाग / प्रभाग 15% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। तदनुसार अनुभाग / प्रभाग के प्रमुख द्वारा रोस्टर तैयार किया जाए।  
All offices to function with 15% attendance. A roster may be prepared accordingly by Heads of Section/Division.
2. आवश्यक सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया स्टाफ 50% उपस्थिति पर ड्युटी को पूरा करना जारी रखेगा। अनुभाग / प्रभाग के प्रमुख जहां तक संभव हो उपस्थिति को कम करना सुनिश्चित करें। हालाँकि, आवश्यकताओं के अनुसार उपस्थिति को 100% तक बढ़ाया जा सकता है।  
The staff identified for essential services shall continue to attend duties at 50% attendance. Heads of Section/Division should ensure to minimize attendance to the extent possible. However, the attendance can be extended upto 100% as per the requirements.
3. उपरोक्त आदेश दिनांक 1 मई, 2021 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रातः 7.00 बजे तक लागू रहेगा।  
The above order will be in force up to 7AM on 1<sup>st</sup> May, 2021, or until further orders whichever is earlier.
4. सभी कृपया कोविड संबंधी सावधानियों का सख्ती से पालन करें। All COVID related precautions to be strictly followed by all.

यह निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी होता है। This issues with the approval of Director, DCSEM.

संलग्न: यथोपरि

Encl: As above.

शैलजा प्रकासम  
22/4/2021

(शैलजा प्रकासम Shailaja Prakasam)  
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

प्रति, To,

निसेसंप्रनि के सभी प्रभाग प्रमुख/मुख्य अभियंता  
All Heads of Divisions/Chief Engineers, DCSEM  
निसेसंप्रनि के सभी अनुभाग प्रमुख / प्रभारी अभियंता  
All Heads of Sections/EICs, DCSEM  
निसेसंप्रनि के सभी अधिकारी / स्टाफ झिंब्रा के माध्यम से  
All Officers/Staff of DCSEM- Thro' Zimbira